

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

क्रमांक/रीडर/2025/3815

दिनांक 14/10/2025

उपरोक्त पत्रिका - समाप्ति वनाय भूमिधारी तहसीलदार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट, 1956

मुकदमा संख्या - 211 /2025

-: दुरुस्ती का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश :-

उपरोक्त विषयानुसार लेख है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 03 / भूअ / 2025 दिनांक 24/09/2025 के द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा -136 के अन्तर्गत गिजवाये गये राजस्व ग्राम विमाडिया पटवार हल्का विमाडिया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के नूमे खाता संख्या 430 में खातेदार काबाली राजमणि-पुष्पा रावणी के स्थान पर काबाली अनिल कुमार रावणी, राजमणि-पुष्पा रावणी नाम दुरुस्त किये जाने के आदेश जारी किये गये है। पटवारी हल्का विमाडिया उपरोक्त आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती कर पालना रिपोर्ट एक माह में इस कार्यालय को गिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।

अनिल कुमार रावणी
(अनिल कुमार रावणी)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

क्रमांक/रीडर/2025/3816-17

दिनांक 17/10/2025

पतिलिपि - निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ -

1. तहसीलदार श्रीमाधोपुर (सीकर) को सूचनार्थ।
2. पटवारी हल्का विमाडिया तहसील श्रीमाधोपुर को पालनार्थ।

अनिल कुमार रावणी
(अनिल कुमार रावणी)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

